

प्रेस नोट 17.05.19

1. दिनांक 16.05.19 को वादी उ०नि० श्री दिनेश कुमार सिंह थाना खण्डासा, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिव कुमार पुत्र नन्हू निवासी सिधारी का पुरवा थाना खण्डासा, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबन्ध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 182/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।
2. दिनांक 16.05.19 को वादी श्री विजय सिंह पुत्र राम सिंह निवासी देवगाँव थाना कुमारगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अनिल पुत्र अंगद सिंह निवासी मठिया देवगाँव थाना कुमारगंज, अयोध्या आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जान माल की धमकी देते हुए मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके संबन्ध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 109/19 धारा 504, 506, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया है।
3. दिनांक 16.05.19 को वादी उ०नि० श्री शिवानन्द यादव थाना तारून, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एए 0092 मोटर साइकिल का चालक नाम पता अज्ञात वाहन संख्या यूपी 42 एए 0092 मोटर साइकिल की डिग्गी से पालीथीन में रखा 20 लीटर देशी कच्ची शराब बरामद होना। जिसके संबन्ध में थाना तारून में मु०अ०सं० 111/19 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया है।
4. दिनांक 16.05.19 को वादी श्री राम लौट कन्नौजिया पुत्र जियालाल कन्नौजिया निवासी रौहारी थाना हैदरगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम नरायन पुत्र जियालाल निवासी रौहारी थाना हैदरगंज, अयोध्या आदि 04 नफर ट्यूबेल से सिचाई की बात को लेकर अभि०गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए हमलावर होना व ताला तोड़कर नुकसान करना। थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 127/19 धारा 352, 504, 506, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया है।
5. दिनांक 16.05.19 को वादी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव पुत्र राम मनोहर निवासी बछरामपुर थाना को०बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुनील कुमार निषाद पुत्र विजय बहादुर निवासी नासिरपुर मूसी थाना को०बीकापुर, अयोध्या आदि 02 नफर ठेले से गिलास लेने से मना करने पर अभि०गण द्वारा वादी को गाली देते हुए मारना पीटना व जान माल की धमकी देना। जिसके संबन्ध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 300/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया है।
6. दिनांक 16.05.19 को वादी श्री अमरनाथ अग्रवाल पुत्र राघवेन्द्रनाथ अग्रवाल निवासी 6/2/65 मुकैरी टोला रिकाबगंज थाना को०नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शनी अग्रवाल पुत्र सुधीर कुमार निवासी अंगूरीबाग थाना को०नगर, अयोध्या अभियुक्त द्वारा वादी को जान से मारने की नियत से रिवाल्वर से फायर करना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबन्ध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 390/19 धारा 307, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया है।